न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 63/2017 तारीख रजू:—7.09.2017

रामप्रसाद पुत्र धीस्या जाति वैरवा निवासी मिलक सराय तहसील नादौती जिला करौली

—अपीलान्ट

बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली राज0

अपील व नाराजगी नामान्तकरण संख्या 119 दिनांक 2.11.1975 तहसीलदार नादौती बाबत आराजी खसरा नम्बर 531/8 रकवा 5 वीधा वाके ग्राम मिलक सराय

निर्णय दिनांक 27.5.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से नामान्तकरण संख्या 119 निर्णय दिनांक 2.11.1975 से नाखुश होकर अपील पेश कर बताया गया है कि यह नामान्तकरण गलत भरा गया है अपीलान्ट का नाम रामप्रसाद पुत्र धीस्या है जबकि इसकी जगह रामसुखा पुत्र धीस्या दर्ज किया गया है। प्रार्थी रामप्रसाद को इसी नाम से आवंटन 1975 मे हुआ था जिसका पटटा प्रार्थी को 1.11.1975 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी को ग्राम मिलक सराय मे आराजी खसरा नम्बर 531/8 रकवा 5 वीधा भूमि आवंटन हुयी थी जिसमे आज भी भूमि पर काबिज है। किन्तु नामान्तकरण इन्द्राज गलत है अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही आया। आज अपीलान्ट/वकील अपीलान्ट भी उपस्थित नही है।

हमने अपीलान्ट की अपील मीमो के अवलोकन करने पर एवं अपील मीमो के साथ प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजो को देखने पर पाया गया कि ग्राम मिलक सराय तहसील नादौती मे आराजी खसरा नम्बर 531 राजकीय भूमि मे से 5 वीधा भूमि रामसुखा पुत्र धीस्या जाति वैरवा को आवंटन हुयी थी और इसी के नाम से आंवटन अधिकारी द्वारा पटटा एवं रिकार्ड मे अंकन किया गया था जो बाद मे गैरखातेदारी से खातेदारी इसी नाम से तहसीलदार द्वारा हाल जमाबंदी मे अंकन किया गया है। जिससे विधित होता है कि रामसुखा एवं अपीलान्टी अलग—अलग व्यक्ति है इस बाबत अपीलान्ट द्वारा अपने आपको रामप्रसाद , रामसुखा को साबित करने मे नाकाम रहा है। तथा यह आवंटन 1975 का है जिसे करीबन 45 वर्ष हो चुके है जिसका इन्द्राज समय —समय पर राजस्व रिकार्ड मे होता चला आया है। आज ही इस गलती का आबास कैसे हुआ अपीलान्ट ने अपील मीमो मे किसी प्रकार का कोई जिक नही किया गया है। साथ ही यह अपील नामान्तकरण अपील की क्षेणी मे नही आती है। नामान्तकरण एक आदेश से खोला जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन तथ्यहीन होने के कारण खारीज की जाती है। निर्णय